न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1887-तीन/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-5-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 286/2008-09/अपील

कल्याण सिंह पुत्र रामदयाल धाकड़,
निवासी कलारबाग नवग्रह मंदिर के पास,
तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र. ...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा पटवारी, शिवपुरी ...... अनावेदक

आवेदकग की ओर से अधिवक्ता, श्री एस. पी. धाकड़ ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

आदेश

(आज दिनांक ०१-०६-१४ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 286/2008-09/अपील में पारित आदेश दिनाक 17-5-10 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व सहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हलका नबर 11 तहसील शिवपुरी ने प्रतिवेदन दिनाक 22-10-08 प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक ने ग्राम डोगरी स्थित भूमि सर्वे न. 198 जगल खुर्द की भूमि पर लम्बाई 70 वाई 50 वर्गफुट पर गहराई 6 फुट में से अवैध उत्खनन कर लिया गया है । इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के विरूद्ध प्रकरण पजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो उसकी पुत्री ने प्राप्त किया किंतु सुनवाई के दिन अथवा अन्य दिनों मे आवेदक के अनुपस्थित रहने पर अनुविभागीय अधिकारी ने एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनाक

26--2--09 पारित किया तथा आवेदक पर 84,000/-- रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया गया है । जिस तथाकथित सूचना पत्र के आधार पर आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है उस सूचना पत्र के पृष्ठ भाग पर सूचना पत्र आवेदक की पुत्री शशि धाकड़ द्वारा प्राप्त किए जाने का उल्लेख है जो अव्यस्क है । संहिता की अनुसूची -- 1 के नियम 12 के अनुसार जहां संबंधित व्यक्ति नहीं पाया जा सके वहा तामील संबंधित व्यक्ति के कुटुंब के किसी ऐसे व्यस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा हो, यह प्रावधान है । अतः इस प्रकरण में जो तामील है वह विधिवत नहीं है । आवेदक द्वारा यह बिंदु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था जिस पर कोई विचार नहीं किया गया । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा विवादित सर्वे नं. 198 से कोई उत्खनन नहीं किया गया है । सारी कार्यवाही पटवारी व आर.आई. के फर्जी प्रतिवेदन को आधार मानकर की गई है ।

यह तर्क भी दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई एकपक्षीय कार्यवाही के कारण आवेदक को शासन पक्ष के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला है और ना ही अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है ।

4-- अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध कियागया है ।

5-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 247 के अंतर्गत अवैध उत्खनन से संबंधित है । प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिंदु पर विचार आवश्यक है कि जिस सूचनापत्र के आधार पर आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है वह आवेदक पर विधिवत तामील होना माना जा सकता है या नहीं ? अभिलेख में जो सूचना पत्र आवेदक को जारी किया गया वह पृष्ठ 8 पर संलग्न है, सूचनापत्र के पृष्ठ भाग पर आवेदक की पुत्री शशि

धाकड द्वारा एक प्रति प्राप्त किये जाने का उल्लेख है और इसी सूचना पत्र के आधार पर आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है । संहिता के प्रावधानों के तहत पुत्री पर तामील विधिवत तामीली नहीं मानी जा सकती है क्योंकि संहिता की अनुसूची – एक के नियम 12 में यह उल्लेख है कि –

जहां संबंधित व्यक्ति पाया नहीं जा सके और उसका कोई मान्यतप्राप्त अभिकर्ता न हो वहां तामील संबंधित व्यक्ति के कुटुंब के किसी ऐसे व्यस्क पुरूष सदस्य पर की जा सकेगी जो कि उसके साथ निवास कर रहा हो । पुत्री पर हुई तामील को संबंधित व्यक्ति पर तामील माना जा सकेगा इसका उल्लेख तामीली नियमों में नहीं है । अत इस प्रकरण में आवेदक की पुत्री पर तामील कराए गए सूचनापत्र को आवेदक पर विधिवत निवहन होना नही माना जा सकता और ऐसे सूचनापत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित करना विधिसगत प्रतीत नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य को अनदेखा किया है । अत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है एवं अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–09 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–5- 10 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि की मौके पर सक्षम अधिकारी से जांच करायें तथा आवेदक को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने तथा शासकीय पक्ष के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का समुचित अवसर देते हेतु प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल मध्यप्रदेश
ग्वालियर